

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No. E (NG)II/2005/RC-4/SC/2

New Delhi, dated 31.03.2020

The General Manager (P)
All Zonal Railways/Production Units
CORE/Allahabad & Metro Railway, Kolkata.

Sub: Engagement of para-medical categories in Group 'C' on contract basis.

Ref: Railway Board's letter of even No. dated 28.03.2020.

Keeping in view the outbreak of Corona Virus disease, it was decided to authorise General Manager/CAO/DRMs to engage retired Paramedical staff up to age of 65 years or to hire Paramedical staff on Contract basis for a period of one month over and above the sanctioned strength of the cadre depending upon the requirement vide Board's above referred letter as a purely temporary measure with stipulation that after one month, the *status quo ante* will be restored with regard to total strength and delegation of power unless extended by further orders.

2. However, since the alarming situation owing to outbreak of Corona Virus disease continues to be unabated, it has been decided to hire the retired Paramedical staff up to the age of 65 years or to hire Paramedical staff on Contract basis for a **period of three months instead of one month** as decided vide Board's earlier letter dated 28.03.2020 with stipulation that after expiry of three months, the *status quo ante* will be restored with regard to total strength and delegation of power unless extended by further orders. **The mode of engagement may be decided by the General Manager/CAO.**

3. The concurrence of the Associate Finance at Railway/PU/Divisional Level may be obtained before resorting to engagement in terms of these instructions.

4. This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways (Railway Board).


(KAMAL SINGH)
For Principal Executive Director (Rectt) & EDE(N)
Railway Board

Copy to: EDH(G)/Railway Board.

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

सं.ई(एनजी)।।/2005/आरसी-4/एससी/2

नई दिल्ली, दिनांक 31.03.2020

महाप्रबंधक (कार्मिक)

सभी क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयां
कोर/इलाहाबाद एवं मेट्रो रेलवे, कोलकाता।

विषय: गुप 'सी' में ठेका आधार पर पैरा मेडिकल कोटियों में नियुक्ति करना।


संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 28.03.2020 का समसंख्यक पत्र।

कोरोना वायरस के विस्फोट को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड के उक्त संदर्भाधीन पत्र के तहत महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ मंडल रेल प्रबंधकों को पैरामेडिकल स्टाफ की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संवर्ग की स्वीकृत क्षमता से अधिक एक माह की अवधि के लिए ठेका आधार पर 65 वर्ष तक की आयु वाले सेवानिवृत्त पैरा मेडिकल स्टाफ या पैरा मेडिकल स्टाफ को किराए पर रखने के लिए प्राधिकृत करने का विनिश्चय किया गया था और यह उल्लेख किया गया था कि यह पूरी तरह से अस्थायी उपाय है और एक माह समाप्त होने के बाद कुल स्वीकृत संख्या और शक्तियों के प्रत्योजन सहित पूर्व स्थिति बनाई रखी जाएगी जब तक कि इसे अगले आदेशों तक बढ़ाया नहीं जाता।

2. बहरहाल, चूंकि कोरोना वायरस के विस्फोट के कारण खतरनाक स्थिति होती जा रही है, इसलिए 65 वर्ष तक की आयु वाले सेवानिवृत्त पैरा मेडिकल स्टाफ या पैरा मेडिकल स्टाफ को एक माह की अवधि के लिए किराए पर रखने के स्थान पर तीन माह की अवधि के लिए किराए पर रखने का विनिश्चय किया गया है, जैसा कि बोर्ड के दिनांक 28.03.2020 के पूर्ववर्ती पत्र के तहत निर्धारित किया गया था जिसमें शर्त है कि तीन माह के समाप्त होने के बाद कुल स्वीकृत संख्या और शक्तियों के प्रत्योजन सहित पूर्व स्थिति बनाई रखी जाएगी जब तक कि इसे अगले आदेशों तक बढ़ाया नहीं जाता। इनकी नियुक्ति के माध्यम को महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

3. इन अनुदेशों के संदर्भ में नियुक्ति करने से पहले रेलवे/उत्पादन इकाई/मंडल स्तर पर सह वित्त की सहमति प्राप्त की जाए।

4. इसे रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।


(कमल सिंह)

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (भर्ती) एवं ईडीई (एन)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि: ईडी एच (जी)/रेलवे बोर्ड